परिक्षेत्रीय कार्यालय, परिक्षेत्र बस्ती

प्रेस नोट
दिनांक – 07-11-2025

- **डीआईजी बस्ती द्वारा "यातायात माह" के सफल संचालन हेतु रेंज के यातायात क्षेत्राधिकारियों एवं यातायात प्रभारियों के साथ की गयी समीक्षा गोष्ठी ।**
- **सम्बन्धित अधिकारियो को दिये आवश्यक दिशा-निर्देश।**

आज दिनांक 07.11.2025 को परिक्षेत्रीय कार्यालय सभागार में पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती श्री संजीव त्यागी द्वारा परिक्षेत्र के जनपदो के यातायात क्षेत्राधिकारियो व यातायात प्रभारियों के साथ यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में समीक्षा गोष्ठी की गयी । डीआईजी बस्ती द्वारा सड़क दुर्घटनाओं तथा उससे होने वाली मृत्यु को रोकने के लिये सड़क सुरक्षा एवं जन जागरूकता के दृष्टिगत सम्बन्धित विभागो से समन्वय स्थापित कर अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किये जाने हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन द्वारा माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर जनपद स्तर पर सड़क दुर्घटनाओ की रोकथाम हेतु निम्न बिन्दुओ पर प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हैः-

(1)- स्कूल/कालेजो में छात्र एवं छात्राओं को यातायात नियम के सम्बन्ध में जानकारी देते हुये जागरूक किया जाय, तथा यातायात विषय पर निबन्ध, चित्रकला प्रतियोगियता एवं नुक्कड़ सभाओं / नाटक आयोजित कराया जाय।

(2)- ट्रक यूनियन, आटो रिक्शा यूनियन, स्कूल बस आपरेटर, टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा चालक आदि के साथ बैठक कर यातायात नियमो की भली-भाँति जानकारी देते हुये 'सेफ ड्राइव-सेव लाइफ" का संदेश दिया जाये तथा इसको सोशल मिडिया के माध्यम से प्रसारित-प्रचारित कराया जाये।

(3)- यातायात नियम के स्लोगन का पोस्टर बैनर एवं पम्पलेट लोगो को वितरित कर जागरूक किया जाये ।

(4)- हाइवे के आस-पास सड़क दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली मृत्यु की रोकथाम हेतु हाइवे के दोनो तरफ रहने वाले स्थानीय लोगो के दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल की जानकारी दी जाये तथा उन्हे भी सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के बिन्दुओ पर जागरूक किया जाय।

(5)- विभिन्न संचार माध्यमो एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म यथा व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स आदि व समाचार पत्रो में भी प्रकाशन कराकर यातायात नियमो का प्रचार प्रसार किया जाये।

(6)- सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र मे दुर्घटना बाहुल्य स्थानो की पुनः समीक्षा कर नये हॉट स्पॉट चिन्हित कर हाट स्पाट वाले स्थानो पर रिफ्लेक्टर युक्त साइन बोर्ड लगवाया जाये व यातायात शपथ समारोह आयोजित कराकर आम जन को यातायात नियमों के पालन हेतु प्रेरित किया जाये।

(7)- बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करने, तेज रफ्तार एवं शराब पीकर वाहन चलाने, मोटरसाईकिल पर तीन सवारी आदि पर विशेष चैकिग अभियान चलाया जाये। चैकिंग के दौरान ब्रेथ एनालाइजर से जॉच किया जाये तथा जनता से शालीन व्यवहार किया जाये।

(8)- तेज गति, नशे की हालत में ड्राइविंग, ओवरलोडिंग एवं अवैध पार्किंग पर सख्त कार्यावाही की जाये।

(9)- कस्बो/चौराहो, सड़क पर हुये अतिक्रमण को संबंधित से समन्वय स्थापित कर हटवाया जाये।

(10) सड़क दुर्घटना में सहायता करने वाले नागरिको को प्रोत्साहित किया जाये। इस दौरान परिक्षेत्र के जनपदों के यातायात क्षेत्राधिकारी व यातायात प्रभारी एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी/कर्म0गण उपस्थित रहें।

मीडिया सेल
परिक्षेत्र बस्ती